प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ</u>

<u>समक्ष: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं</u>

<u>माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 740/2005</u>

अमोल साई

-बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर</u>

मैं सहमत हूँ

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

दिनांक 28 जून, 2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

समक्ष: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 740/2005

अपीलार्थी: अमोल साई, पिता राम प्रसाद सूर्यवंशी, उम्र

(जेल में) लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम नगोई,

थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना सरकंडा, जिला

बिलासपुर (छ.ग.)

{दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील}

उपस्थित: श्री श्री उत्तम पांडे, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री डी.के. ग्वालरे, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(28 जून, 2011 को पारित किया गया)

न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. यह अपील दिनांक 20-07-2005 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 73/2005 में पारित किया गया जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भैय्याराम की हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध का सिद्धहदोष पाते हुए, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड का भुगतान न करने की व्यतिक्रम में अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी भी ठोस साक्ष्य के विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराकर दंडित किया है, जिससे न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन के मामले के अनुसार, घटना दुर्भाग्यपूर्ण दिनांक 31-10-2004 की दुर्भाग्यपूर्ण रात को लगभग 7.30 बजे पारिवारिक विवाद के कारण और कथित पारिवारिक विवाद में भैय्याराम (अब मृतक) की सक्रिय भागीदारी के कारण, अपीलार्थी ने भैय्याराम पर लाठी से उसके सिर पर हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) - मृतक भैय्याराम का बेटा जो मौके पर मौजूद था, पुलिस थाने गया और प्र.पी.-3 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। प्र.पी.-4 के तहत मर्ग दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर गए और प्र.पी.-5 के तहत साक्षियों को बुलाकर, प्र.पी.-6 के तहत मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार किया। प्र.पी.-9 के तहत घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी, सादी मिट्टी, रक्तरंजित तौलिया और रक्तरंजित शॉल बरामद किया गया। विवेचना अधिकारी ने प्र.पी.-12 के तहत घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। भैय्याराम के शव को प्र.पी.-1क के

तहत सिम्स, बिलासपुर में शव विच्छेदन के लिए भेजा गया। डॉ. विजय कुमार मनवानी (अभि.सा.-2) ने प्र.पी.-1 के तहत शव विच्छेदन किया और निम्नलिखित चोटें पाईं: -

(1) बाएं माथे और चेहरे पर ¼ सेमी. x ¼ सेमी. से 2 सेमी. x 2 सेमी. तक कई खरोंच।

(2) दाहिने हाथ पर 1.5 सेमी. की खरोंच।

(3) सिर के पिछले भाग, कनपटी और पार्श्व क्षेत्रों पर 9.1 सेमी. x 3.2 सेमी. का गहरा कटा हुआ घाव, मस्तिष्क का हिस्सा दिखाई दे रहा था।

(4) बाएं सिर के पिछले क्षेत्र पर 9.2 सेमी. x 0.5 सेमी. मस्तिष्क तक गहरा कटा हुआ घाव, मस्तिष्क कटा हुआ पाया गया।

(5) दोनों तरफ की सिर के पिछले, पार्श्व और कनपटी की हड्डियों हड्डियों में गंभीर टूट-फूट) हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु का कारण कोमा था और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। विवेचना के दौरान, आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसने रपली (छोटा फावड़ा) का प्रकटीकरण कथन प्र.पी.-10 के तहत दिया और उसी को उसकी निशानदेही पर प्र.पी.-11 के तहत बरामद किया गया। पटवारी ने स्थल नक्शा भी प्र.पी.-8 के तहत तैयार किया। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) ने अपीलार्थी की गर्दन पर रस्सी लपेटकर और हाथों व मुक्कों से चोट पहुंचाने की कोशिश की और चोट पहुंचाई। अपीलार्थी को चिकित्सीय जांच के लिए प्र.पी.-14 के तहत भेजा गया, डॉक्टर ने उसकी विवेचना की और उसकी गर्दन पर खरोंच पाई गईं। जब्त की गई चीजें रासायनिक जांच के लिए प्र.पी.-15 के तहत भेजी गईं।

4. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर की न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को सुपुर्द कर दिया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचारण के लिए स्थानांतरण पर मामला प्राप्त किया।

5. अपीलार्थी के दोष को प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल ग्यारह साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्त का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया था, जिसमें उसने अपने विरुद्ध बन रही परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष होने का अभिवचन किया प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। अभियुक्त ने अपने बचाव में यह भी तर्क दिया है कि (अभि.सा.-5) ने उसे मारने की कोशिश की थी और घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था, तथा उसे प्रश्नाधीन अपराध में झूठा फंसाया गया है।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त प्रकार से सिद्धहदोष ठहराया और दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) - मृतक का बेटा, एक हितबद्ध और शत्रुतापूर्ण साक्षी है, उसने कथित घटना से पहले अपीलार्थी को घातक चोटें पहुंचाई थीं, और घटना के समय, अपीलार्थी अपनी चोटों के कारण कोई चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। भैयाराम का शव पांडे की दुकान के पास मिला था और वह पांडे की दुकान से दिखाई नहीं दे रहा था। जिस जगह शव मिला था, वह झाड़ियों से घिरा हुआ था। घटना के समय पूरी तरह अंधेरा था और लोगों के लिए यह देखना संभव नहीं था कि शव पड़ा हुआ है या किसने चोट पहुंचाई है। प्रत्यक्ष साक्षी और चिकित्सकीय साक्ष्यों में विरोधाभास है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, अपीलार्थी ने लाठी से चोट पहुंचाई है, लेकिन शव विच्छेदन प्रतिवेदन के अनुसार तेज धार वाली वस्तु से पांच घातक चोटें पाई गई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों पर अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अन्य

चक्षुदर्शी साक्षी जैसे कि केशव पांडे (अभि.सा.-6) और कपिल (अभि.सा.-8) भी मौके पर उपस्थित थे। यद्यपि अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शत्रुघन लाल शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) ने अपीलार्थी को मारने का प्रयास किया। घटना स्थल पर पूरी अंधेरा थी और किसी ने भी घटना को नहीं देखा। उपर्युक्त गवाहों के साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करते हैं और उनकी साक्ष्य विश्वसनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने **कपिलदेव मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[1] के प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चक्षुदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता केवल मृतक के साथ उसके संबंध या अभियुक्त से तनावपूर्ण संबंध के आधार पर नहीं आंकी जा सकती, बल्कि इसका विवेचन अन्य कारकों जैसे पहचान, उपलब्धता, और चिकित्सकीय व प्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ संगति के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसके विपरीत, राज्य के अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए निवेदन किया कि चक्षुदर्शी साक्षी शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.-8) के साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करते हैं, उनके साक्ष्य विश्वसनीय हैं और उनके सबूतों को सिर्फ रिश्ते या दुश्मनी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनके साक्ष्यों की सूक्ष्म विवेचना करना आवश्यक है।

10. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की समुचित विवेचन करने के लिए हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

11. वर्तमान मामले में, मृतक भैयाराम की हत्या उनके प्रमुख अंग यानी सिर पर पाई गई घातक चोटों के कारण हुई, इस बात पर अपीलार्थी की ओर से कोई महत्वपूर्ण आक्षेप नहीं किया गया है। अन्यथा, डॉ. विजय कुमार मनवानी (अभि.सा.-2) की अभिकथन और शव विच्छेदन प्रतिवेदन प्र.पी.-1 द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मृतक की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

---

[1] एआईआर 2008 एससी 533

12. प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थी की सहभागिता के संबंध में, दोषसिद्धि मुख्य रूप से शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.8) – मृतक के पुत्रों – के साक्ष्यों पर आधारित है। शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) के साक्ष्य के अनुसार, घटना के समय वह पांडे की दुकान के सामने रामसनेही से 7 से 7.30 बजे के बीच बातचीत कर रहे थे। उसी समय, आरोपी पीछे से आया और उस पर हमला किया, इसके बाद आरोपी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गालियाँ दी। साक्षी रामसनेही और प्रह्लाद ने उसे बचाया। इसके बाद आरोपी घटना स्थल से चला गया। इस गवाह ने अपनी घटना की सूचना अपने भाई कपिल (अभि.सा.8) को देने के लिए घर गया और फिर कपिल के साथ पांडे की दुकान के पास वापस आया। उनके पिता भी उनके पीछे आ रहे थे। अभियुक्त /अपीलकर्ता घटना स्थल के पास छिपा हुआ था और जब उनके पिता पांडे की दुकान के पास पहुँचे, तो आरोपी ने उन्हें कुदाली (खोदने के लिए उपयोग होने वाला हथियार) से हमला किया और उसकी मृत्यु कारित कर दी। उसने अपने भाई के साथ पुलिस थाना सरकंडा जाकर उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। उसके साक्ष्य के अनुसार, भैयाराम (अब मृतक) की भांजी अपीलार्थी से विवाहित थी और उक्त संबंध को लेकर विवाद था। शत्रुघन लाल (अभि.सा.-5) ने आगे कहा कि उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.-3 के तहत प्र.पी.-4 के तहत मर्ग और अन्य दस्तावेज दर्ज कराए। मृतक का दूसरा पुत्र कपिल (अभि.सा.8) ने शत्रुघन लाल (अभि.सा.-5) के साक्ष्यों की पर्याप्त पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, अपीलार्थी ने लाठी से चोट पहुंचाई है। शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) के साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज कथन (प्रदर्श क -1) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.-3 के बीच विरोधाभास और लोप हैं। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने डंडे से चोट पहुंचाई है। अपने साक्ष्य के कंडिका 11 में, उसने विशेष

रूप से अभिकथन किया है कि अपीलकर्ता ने डंडा पकड़ा हुआ था। लेकिन उसने घटना स्थल के पास प्रकाश की उपस्थिति स्वीकार की है। अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 13 में उसने इस सुझाव से इनकार किया कि घटना स्थल के पास कोई रोशनी नहीं थी और पूर्णतः अंधेरा था। अपने साक्ष्य के कंडिका 15 में, उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने अपीलार्थी पर हमला किया था और उसके गले में रस्सी डालकर और उसे कसकर चोट पहुँचाने की कोशिश की थी। अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 16 में उसने आगे इस बात से इनकार किया कि ऐसी चोट पहुँचाने के बाद जब अपीलार्थी गिर गया, तो वे उसे यह सोचकर छोड़ गए कि अपीलार्थी की मृत्यु हो गई है। अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 21 में उसने आगे कहा कि वह नहीं जानता कि उसके पिता के सिर पर ऐसी चोट कैसे आई, लेकिन उसने विशेष रूप से कहा कि चोट के कारण मस्तिष्क बाहर निकल आया था। उसने यह भी अभिकथन किया कि जब आरोपी ने उसके पिता पर हमला किया तो उसने आरोपी पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोपी मौके से भाग गया। अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 23 में उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके पिता की आंखों की रोशनी कमजोर थी और सामान्यतः उसके पिता बिना किसी सहारे के चलने की स्थिति में नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. बचाव पक्ष ने कपिल (अभि.सा.-8) से लंबी प्रति- परीक्षा की है। उसके साक्ष्यों और पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज कथन (प्रदर्श क -3) में कुछ विरोधाभास और लोप हैं। अपनी प्रति परीक्षण में उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि पूरा अंधेरा था, घटना वाली जगह बेश्रम झाड़ियों से घिरी हुई थी और लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 20 में यह भी अस्वीकार किया कि उसके पिता का अन्य ग्रामीणों के साथ कोई दुश्मनी थी और उसके पिता की हत्या किसी व्यक्ति ने की, लेकिन दुश्मनी का लाभ उठाकर उन्होंने अपीलार्थी को झूठा फंसाया है।

15. गोवर्धन (अभि.सा.-1), रामसनेही (अभि.सा.-3), पप्पू उर्फ प्रदीप सूर्यवंशी (अभि.सा.-4) और महेंद्र कुमार (अभि.सा.-9) को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इन

साक्षियों ने अभिकथन किया है कि उन्होंने घटना नहीं देखी और वहां पूरा अंधेरा था। उन्होंने शत्रुहन लाल द्वारा अपीलार्थी को चोट पहुंचाने की घटना के बारे में बयान दिया है। अभियोजन पक्ष ने केशव पांडे (अभि.सा.-6) को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। उन्होंने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उनकी प्रति परीक्षण के कंडिका 12 के अनुसार, उन्होंने शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5), कपिल (अभि.सा.-8), और महेंद्र कुमार (अभि.सा.-9) को अपनी दुकान की ओर आते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने अभिकथन किया है कि दो छोटे बच्चे यानी भैयाराम (अब मृतक) के पोते उनकी दुकान पर आए, वे रो रहे थे और उन्होंने बताया कि किसी ने उनके दादा को मार दिया है। इन साक्षियों को दिए गए सुझावों और इन साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, भैयाराम बूढ़े व्यक्ति थे, वे बिना सहारे के चल नहीं सकते थे, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी और वे अंधेरे में या रात में चलने की स्थिति में भी नहीं थे। घटना स्थल के पास पूरा अंधेरा था। भैयाराम का शव पांडे की दुकान से काफी दूर मिला था, वह जगह बेश्रम झाड़ियों से घिरी हुई थी और लोगों के लिए शव या भैयाराम पर हमला करने वाले लोगों या किसी अन्य व्यक्ति को 10-12 फीट की दूरी से भी देखना संभव नहीं था। इन सभी सुझावों से शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.-8) ने इनकार किया है, लेकिन अन्य साक्षियों ने जिन्हें अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है, उन्होंने इसे स्वीकार किया है। निश्चित रूप से शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.-8) के अभिकथनों में विरोधाभास और लोप थीं, यहां तक कि उपयोग किए गए हथियार से संबंधित चिकित्सीय और प्रत्यक्ष साक्ष्य के बीच भी विसंगति है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अपीलार्थी के निशानदेही पर, अभियोजन पक्ष ने रपली - एक छोटा फावड़ा ज़ब्त किया है। रपली के ब्लेड की चौड़ाई 2 1/2" और लंबाई 7" थी, जो 32" के लकड़ी के हैंडल में लगी हुई थी। निश्चित रूप से, घटना रात में हुई थी और ऐसी घटना के समय, लोग उस व्यक्ति को अच्छी तरह से देख और पहचान सकते हैं जो मौजूद था और चोट पहुँचा रहा था, लेकिन हथियार के विवरण के बारे में संदेह हो सकता है और कोई भी आसानी से बता सकता है कि अपराधी के पास छड़ी थी क्योंकि सवाल में हथियार का बड़ा हिस्सा छड़ी यानी हैंडल था

जिसका ऑब्जेक्ट छोटा था। लेकिन सिर्फ़ इस गलती के आधार पर, चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। दोनों साक्षियों, शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.-8) ने शत्रुता को सीधे तौर पर स्वीकार किया है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) ने अपीलार्थी को चोट पहुँचाई थी और उसके बाद घटना हुई। हालाँकि दोनों साक्षियों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसी घटना के समय अपीलार्थी को चोट पहुँचाई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी अभियोजन से बचने के उद्देश्य से उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि पहले घटित घटना के समय उन्होंने अपीलार्थी को चोट पहुँचाई। लेकिन इस साक्ष्य या पहले की घटना को साक्षियों द्वारा छिपाने के कारण साक्षियों के पूरे अभिकथन को खारिज करना पर्याप्त नहीं है।

17. जिन गवाहों को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है, उन्होंने अभिकथन किया है कि वहाँ पूरा अंधेरा था, मृतक का शव उस स्थान के पास मिला था जो बेश्रम झाड़ियों से घिरी हुई थी, वह दिखाई नहीं दे रहा था और यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि चोट किसने पहुँचाई। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि पांडे की दुकान के पास कौन खड़ा था। जब पूरी अंधेरे के कारण उन्हें देखना संभव नहीं था, तो यह भी संभव नहीं था कि वे देख पाते कि पांडे की दुकान के पास कौन खड़ा था और कौन किस तरफ से आया था। ऐसा कोई अन्य अवसर नहीं था और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह सूचना भी नहीं दी गई कि भैयाराम का शव उस स्थान पर पड़ा था जो झाड़ियों से घिरा हुआ था और उस स्थान पर शव को किसी और ने नहीं देखा। साक्ष्य के अनुसार, भैयाराम बिना किसी सहारे के चल नहीं सकते थे और उनकी नज़र बहुत कमजोर थी, यहाँ तक कि रात में उनके लिए चलना भी संभव नहीं था। तथ्य यह है कि उनका शव उनके घर से दूर 7.30 बजे शाम को मिला। यदि वह चलने की स्थिति में नहीं थे, तो यह संभव नहीं था कि वह अपने घर से घटना स्थल तक चल पाते। यह साक्ष्य दर्शाता है कि वे साक्षी जिनको अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है, वे घटना की सच्ची स्थिति नहीं बता रहे हैं और वे सच्चाई छिपा रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) के साक्ष्य के अनुसार, पहले घटना के कारण वह घर गया और अपने भाई कपिल को घटना की सूचना दी। इसके बाद दोनों व्यक्ति पांडे की दुकान के पास आए, उनके पिता भी उनके पीछे आए और फिर घटना घटित हुई। पहले घटना के समय जब मृतक भैयाराम के दोनों पुत्र पांडे की दुकान की ओर गए, तो उनके पिता भैयाराम का उनके पीछे पांडे की दुकान की ओर जाना बहुत स्वाभाविक था। ऐसा नहीं था कि भैयाराम चलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके लिए चलना सहज नहीं था। आपातकाल या इस प्रकार की घटना के मामले में, भैयाराम अपने घर से पांडे की दुकान तक, अपने दोनों पुत्रों के पीछे, चल पाते यह असंभव नहीं था।

19. शत्रुतापूर्ण रवैये वाले साक्षियों और विरोधाभासी या अतिशयोक्ति वाले साक्ष्यों की साक्ष्य मूल्य की बात करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने **लक्ष्मण और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[2] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि कि साक्षियों को पूरी तरह से झूठा नहीं ठहराया जा सकता और उनके साक्ष्य को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही उनके साक्ष्यों के कुछ भाग स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध हों। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "साक्ष्यों पर आगे चर्चा करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि प्रोफेसर मन्स्टरबर्ग ने अपनी पुस्तक 'ऑन द विटनेस स्टैंड'(पृष्ठ 51) और 'लॉ एंड द मॉडर्न माइंड' (1949 संस्करण, पृष्ठ 106) में उन प्रयोगों के उदाहरण दिए हैं, जिनमें अचानक अप्रत्याशित और पूर्व-योजित घटनाओं को व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें तुरंत बाद यह लिखने को कहा गया कि उन्होंने क्या देखा और सुना। आश्चर्यजनक परिणाम यह था:
>
> "उन लोगों के मुंह में शब्द रखे गए जो पूरी छोटी घटना के दौरान केवल मौन दर्शक रहे; मुख्य प्रतिभागियों के ऐसे कार्य उनसे जोड़ दिए

[2] एआईआर 1974 एससी 308

गए जिनका सबसे छोटा भी कोई प्रमाण नहीं था; और कई गवाहों की स्मृति से त्रासदी-नाटक के आवश्यक हिस्से पूरी तरह हट गए।"

इसलिए प्रोफेसर ने निष्कर्ष निकाला: 'हम कभी नहीं जानते, या कल्पना भी नहीं कर सकते।'इस प्रकार, साक्षियों को पूरी तरह झूठा नहीं ठहराया जा सकता और उनके साक्ष्य को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही उनके बयानों के कुछ भाग स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध हों। निपुण न्यायाधीश स्वीकार्य सत्य के अंश को अतिशयोक्ति और असंभवताओं से अलग कर सकता है, जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्ण रूप से स्वीकार या आधार नहीं बनाया जा सकता। यह सामान्य समझदारी है कि आवश्यकतः अपूर्ण मानव साक्ष्य के विवेचन में यह नियम

फल्सस इन उनो, फल्सस इन ओम्निबस" (एक में झूठा, सब में झूठा) को यांत्रिक रूप से लागू करने से बचा जाए।".

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य की महत्वता और उनकी गहन विवेचना की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **रामानंद यादव बनाम बनाम प्रभुनाथ झा एवं अन्य** [3]के मामले में कंडिका 15 में यह अवलोकन किया कि-

"लेकिन इसी समय, यदि रिश्तेदारों या हितबद्ध साक्षियों की विवेचना की जाती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उनके साक्ष्यों का गहन परीक्षण करे और यह निष्कर्ष निकाले कि क्या उनके साक्ष्यों में सत्यता की झलक है या इसे पक्षपाती माना जाने का कोई कारण है। जब भी यह दावा किया जाता है कि गवाह पक्षपाती है या अभियुक्त के प्रति कोई वैमनस्य रखता है, तो इसके आधार को प्रस्तुत किया

[3] एआईआर 2004 एससी 1053

जाना आवश्यक है। यदि उपलब्ध सामग्री यह दर्शाती है कि गवाह का दृष्टिकोण पक्षपाती है, तो जैसा ऊपर कहा गया, न्यायालय को साक्ष्यों का सावधानी और सतर्कता से विश्लेषण करना होता है।"

21. रिश्तेदारी के संदर्भ में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **दलबीर कौर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य** [4]के प्रकरण में, कंडिका 13 में यह अभिनिर्धारित किया है कि 'एक करीबी रिश्तेदार, जो मामले की परिस्थितियों में एक हितबद्ध साक्षी होता है, उसे 'हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति को किसी न किसी रूप में यह प्रत्यक्ष लाभ होना चाहिए कि अभियुक्त को किसी तरह सिद्धहदोष ठहराया जाए, चाहे वह अभियुक्त के प्रति वैमनस्य के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. "समान प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[5] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल रिश्तेदारी होने के कारण गवाह की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती; केवल इसलिए कि गवाह अपराध के पीड़ित का संबंधी है, उसे 'हितबद्ध' गवाह नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 7 में यह भी प्रतिपादित किया है:

"..... वैसे भी यह नियम सार्वभौमिक रूप से यह ठहराना कि एक सार्वजनिक साक्षी की विवेचना नहीं होने के कारण अभियोजन के विरुद्ध नकारात्मक निष्कर्ष निकाले जाएँ, या यह कि पीड़ित के रिश्तेदार का साक्ष्य, जो अन्यथा विश्वसनीय है, केवल इसलिए भरोसेमंद नहीं माना जा सकता कि उसे लोक साक्षियों द्वारा पुष्टि नहीं मिली, यह त्रुटिपूर्ण होगा। जहां तक पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय

[4] एआईआर 1977 एससी 472

[5] एआईआर 2008 एससी 2436

को ऐसे साक्ष्य की अधिक सावधानी और सतर्कता से विवेचना करनी होती है, लेकिन केवल उनकी अभियोजन में रुचि के आधार पर ऐसे साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। संबंध स्वयं में साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता। केवल इसलिए कि गवाह अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे 'हितबद्ध' साक्षी के रूप में नहीं वर्णित किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि 'हितबद्ध' शब्द यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति को किसी न किसी रूप में यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ है कि अभियुक्त को किसी तरह सिद्धहदोष ठहराया जाए, चाहे वह अभियुक्त के प्रति वैमनस्य के कारण हो या किसी अन्य छिपे हुए उद्देश्य के लिए हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सर्वोच्च न्यायालय ने **संदीप बनाम हरियाणा राज्य**[6] के प्रकरण में, अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामलों में जहां पीड़िता और अभियुक्त साक्षी को ज्ञात हों, तो उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण होगा और और इस आधार पर उसकी आलोचना नहीं की जा सकती कि साक्षी अभियुक्त के पिता को जानता था, इसलिए वह हितबद्ध साक्षी है।

24. हितबद्ध या शत्रुतापूर्ण गवाहों के मामलों में, न्यायालय को उनके साक्ष्यों की बहुत सावधानी और सतर्कता से विवेचना करनी होती है। वैसे भी, दुश्मनी एक दोधारी शस्त्र है; इसका उपयोग घटना को कारित करने के लिए भी हो सकता है और झूठे आरोप लगाने के लिए भी। चिकित्सकीय और चक्षुदर्शी साक्ष्यों में असंगति पाई गई है। चिकित्सकीय साक्ष्यों के अनुसार, चोट तेज धार वाले हथियार से लगी है, जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्यों और प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी ने चोट लाठी से पहुंचाई। अंधेरे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि शत्रुहन लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.-8) ने उस लाठी के हैंडल का वह हिस्सा

[6]एआईआर 2001 एससी 1103

नहीं देखा जिसमें छोटी वस्तु यानी रपली थी। तथापि, केवल यह विसंगति या असंगति चक्षुदर्शी साक्षियों के अभिकथन को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्यों द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्ट होते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आग्नेयास्त्रों का उपयोग हुआ हो। आग्नेयास्त्र से कोई चोट नहीं मिली। घटना दिन के उजाले में हुई और साक्षीयों ने यह भी बयान दिया कि अपराधी के पास लाठी या किसी विशेष प्रकार का हथियार था।

25. शत्रुघ्न लाल (अभि.सा.-5) और कपिल (अभि.सा.-8) के साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य तथा तत्काल दर्ज की गई प्राथमिकी से पर्याप्त रूप से पुष्टि होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **कपिलदेव मंडल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि किसी चक्षुदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता का विवेचन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसका मृतक से रिश्ता है अथवा अभियुक्त से उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं, बल्कि उसका परीक्षण अन्य कारकों के आधार पर किया जाना आवश्यक है, जैसे— अभियुक्त की पहचान, साक्ष्य की उपलब्धता, तथा चिकित्सकीय एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ उसकी संगति। **कपिलदेव मंडल** के प्रकरण (पूर्वोक्त) में दो प्रत्यक्ष साक्ष्यों के मध्य विरोधाभास, चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्ण असंगति तथा पहचान से संबंधित साक्ष्य के संदेहास्पद होने के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त किया था। वर्तमान प्रकरण में, उपर्युक्त साक्षियों के अभियुक्त से संबंध तनावपूर्ण होने के बावजूद, उनकी साक्ष्य पहचान से संबंधित किसी भी त्रुटि अथवा असंगति से ग्रस्त नहीं है तथा हथियार के प्रयोग से संबंधित कथित असंगति पर समुचित रूप से विचार किया जा चुका है। अतः **कपिलदेव मंडल**(पूर्वोक्त) का प्रकरण तथ्यात्मक रूप से वर्तमान प्रकरण से भिन्न है।

27. साक्ष्यों की गहन समीक्षा के उपरांत हम इस सुविचारित मत पर पहुँचे हैं कि शत्रुघन लाल (अभि.सा.-5) एवं कपिल (अभि.सा.-8) की साक्ष्य, समय पर दर्ज की गई प्राथमिकी, मर्ग सूचना तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से भली-भांति पुष्ट होती है, विश्वास उत्पन्न करती है तथा उनकी साक्ष्य विश्वसनीय है और उस पर अवलंब लिया जा सकता है।

28. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित विवेचन करने के पश्चात्, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त प्रकार से दोषसिद्ध कर दंडित किया।

29. साक्ष्यों की गहन समीक्षा करने पर हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं पाई गई। परिणामस्वरूप, अपील निरस्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

टी.पी. शर्मा **आर.एल.झंवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore